न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा

पीठासीन अधिकारी :— रणजीत कुमार आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :— 48 / 2022

1. मनीराम पुत्र लक्षमणराम जाति सुथार साकिन दुलमाना तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ।

——वादी

बनाम

1. लिछमन पुत्र केशरा जाति सुथार साकिन दुलमाना, तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ।
2. गोपीराम पुत्र लिछमण जाति सुथार साकिन दुलमाना तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ।
3. रामेश्वरलाल पुत्र लिछमण जाति सुथार साकिन दुलमाना तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ।
4. रामचन्द्र पुत्र लिछमण जाति सुथार साकिन दुलमाना तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ।
5. रोशनी देवी पुत्री मनोहरी पुत्री लिछमण जाति सुथार साकिन दुलमाना तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ।
6. मुकेश कुमार पुत्र मनोहरी पुत्री लिछमण जाति सुथार साकिन दुलमाना तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ।
7. मन्जू पुत्री मनोहरी पुत्री लिछमण जाति सुथार साकिन दुलमाना तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ।
8. पवन कुमार पुत्र मनोहरी पुत्री लिछमण जाति सुथार साकिन दुलमाना तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ।

——प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा आर.टी.ए. 88 बाबत घोषणा

—:: उपस्थित अभिभाषकगण ::—

1. श्री राजेन्द्र पटीर अधिवक्ता **———वादी**
2. श्री जगराज सिंह भारी अधिवक्ता **——प्रतिवादी सं. 1 ता 8**

—:: निर्णय ::—

दिनांक :— 11/02/2022

वादी वकील के माध्यम से वादी ने एक वाद विरूद्ध प्रतिवादी सं. 1 से 8 इस आशय का पेश किया कि वादी एवं प्रतिवादीगण का पंजीकृत एवं प्रमाणित पता वहीं है जो वाद पत्र में अंकित किया गया है। वाद पत्र की दफा 3 में अंकित किया गया है कि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम तहसील पीलीबंगा के चक 8 पीबीएन के खाता संख्या 93 / 100 के प.नं. 44 / 295 (22) कि.नं. 21 ता 24, 25 / 1, 25 / 2 की कुल 1.265 हैक्टेयर भूमि नहरी मय गैर मुमकिन खाला खातेदारी दर्ज रिकार्ड है। जमाबन्दी की सत्यप्रति पेश की गई है। यह कि वादी के दादा केशरा के नाम इस चक में पैतृक कृषि भूमि दर्ज रिकॉर्ड थी जिसका बेचान प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा किया गया व बेचान की प्रतिफल राशि व वादी व प्रतिवादी गण की संयुक्त मेहनत से वाद पत्र की दफा 3 में वर्णित भूमि क्रय कर प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज करवाई थी, जो कि वादी [illegible]क कृषि भूमि है। जिसमें वादी का जन्म से हक व हिस्सा निहित है। उक्त पैतृक भूमि बाबत वादी व प्रतिवादीगण के मध्य अर्सा दाज पूर्व घरू बंटवारा हो चुका है जिसमें प्रतिवादीगण ने 3 [illegible] तमाम हिस्सा वादी के हक में छोड़

11/02/2022

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

Signature Not Verified
Digitally signed by Ranjeet Kumar
Date: 2022.04.24 16:53:48 IST
Reason: SelfAttested

दिया है वे इस भूमि में अपना हक व हिस्सा नहीं लेना चाहते हैं। वाद पत्र में वर्णित भूमि अकेले वादी को प्राप्त हुई है। प्रतिवादी संख्या 1 के पास अन्य चकों में कृषि भूमि दर्ज रिकार्ड है जो प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 को प्राप्त होगी। वादी अपनी घरू बंटवारा में प्राप्त कृषि भूमि पर शान्तिपूर्वक काबिज काश्त है। वादी को घरू बंटवारा में प्राप्त भूमि राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज होने के कारण वादी की हकूक खातेदारी पर विपरीत असर पड़ता है। इसलिए वादी अपनी घरू बंटवारा में प्राप्त कृषि भूमि की खातेदारी घोषणा प्राप्त करने के हकदार है।

यह कि वादी ने प्रतिवादीगण को कई बार कहा कि वे वादी को घरू बंटवारा में प्राप्त भूमि राजस्व अभिलेख में वादी के नाम दर्ज करवा देवें तो वे कुछ दिन तो टाल मटौल करते रहे परन्तु अब 5 रोज पूर्व ऐसा करने से बिल्कुल मना हो गये। बस यही वाद का कारण है। अतः वादपत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि वाद वादीगण निम्न प्रकार से डिक्री फरमाया जावे :– प्रतिवादी संख्या 1 के नाम तहसील पीलीबंगा के चक 8 पीबीएन के खाता संख्या 93/100 के प.नं. 44/295 (22) कि.नं. 21 ता 24, 25/1, 25/2 की कुल 1.265 हैक्टेयर भूमि नहरी मय गैर मुमकिन खाला खातेदारी का वादी खातेदार काश्तकार है।

वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। दिनांक 10.2.2022 को वादी व प्रतिवादीगण मय अधिवक्तागण हाजिर आये। उभयपक्ष द्वारा हस्ताक्षरित तहरीर ुदा राजीनामा पेश किया और प्रार्थना की गयी कि दोनों पक्षों में राजीनामा हो चुका है। राजीनामा तस्दीक फरमाकर वाद को डिक्री फरमाया जावे। प्रस्तुत राजीनामा पर उभयपक्ष की पहचान जरिये अधिवक्ता व जरिये दस्तावेज की गयी। पहचान सिद्ध होने पर राजीनामा तस्दीक किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। बहस उभयपक्ष सुनी गयी। इस सम्बंध में आर.आर.डी. 1981 पेज 512 आर.टी.ए. की धारा 40–53, 38–39–40, आर.आर.डी. 1966 पेज 71 ए.आई.आर. 1976 (एससी) पेज 807 व 178 आर.आर.डी. पेज 219 आर.आर.डी. 1975–478, ए.आई.आर.1966 (एस.सी.) 432 आर.आर.डी. 1975 पेज 489 की नजीरें पेश करते हुए कथन किया कि आपसी समझौते या अदालत के आदेशानुसार बंटवारा किया जा सकता है।

राजस्थान काश्तकारी (बोर्ड आफ रेवेन्यू) अधिनियम 1955 के नियम 19 व आदेश 12 नियम 6 एवम् आदेश 23 नियम 3 सीपीसी में समझौता के आधार पर वाद डिक्री किया जा सकता है। राजस्व (ग्रुप–6) विभाग जयपुर के पत्रांक प.5(1)राज/6/97/10 दिनांक 08.09.1997 के अनुसार सह कृषकों में जोत के विभाजन की सहमती हो जाये तो ऐसी सहमती के आधार पर डिक्री की जा सकती है। हिन्दु उत्तराधिकार विधि के अनुसार पुत्र को अपने पिता की पैतृक सम्पति में जन्म से ही अधिकार है। इसलिये पुत्र अपनें पिता की पैतृक सम्पति में पिता के जीवनकाल में ही जोत का विभाजन करवा सकता है।

ए.आई.आर. 1976 एस.सी. 807 के अनुसार यदि हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के अनुरूप हिस्सा प्रदान न किया गया हो या किसी का हिस्सा कम ज्यादा हो तो भी माननीय उच्चतम न्यायालय नें पारिवारिक समझौते को अधिक मान्यता दी है। पारिवारिक समझौता धोखाधड़ी या किसी के प्रभाव में न हो तो उस पारिवारिक समझौता को मान्यता दी जा सकती है। जिससे वाद कम हो, पारिवारिक समझौता पक्षकारान द्वारा न्यायालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत किया गया हो।

–:: आदेश ::–

वादी एवम् प्रतिवादीगण की ओर से पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया बाद अवलोकन पाया कि वाद में वर्णित भूमि प्रतिवादीगण की पैतृक खातेदारी भूमि है। जो जद्दी जायदाद होने के कारण उभयपक्ष के मध्य हुए राजीनामा के अनुसार लोक अदालत की भावना से वाद वादीगण स्वीकार किया जाना न्यायोचित है। पत्रावली का अवलोकन किया गया राजीनामा के आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 के

Signature Not Verified
Digitally signed by Ranjeet Kumar
Date: 2022.04.24 16:53:48 IST
Reason: SelfAttested

11/02/2022
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

अन्तर्गत वाद में वर्णित भूमि तहसील पीलीबंगा के चक प्रतिवादी संख्या 1 के नाम तहसील पीलीबंगा के चक 8 पीबीएन के खाता संख्या 93/100 के प.नं. 44/295 (22) कि.नं. 21 ता 24, 25/1, 25/2 की कुल 1.265 हैक्टेयर भूमि नहरी मय गैर मुमकिन खाला खातेदारी वादी को खातेदार काश्त तकार घोशित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद किया जावे। आदेशानुसार डिक्री जारी हो। तहसीलदार (राजस्व) पीलीबंगा को आदेशित किया जाता है कि खर्चा फरीकैन अपना–अपना वहन करेगें। पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

11/04/2022

(रणजीत कुमार)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर
पीलीबंगा

Signature Not Verified

Digitally signed by Ranjeet Kumar
Date: 2022.04.24 16:53:48 IST
Reason: SelfAttested